<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u> <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-16062022-236635 CG-DL-E-16062022-236635

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2624] No. 2624] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 16, 2022/ज्येष्ठ 26, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 16, 2022/JYAISHTHA 26, 1944

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुन, 2022

का.आ. 2756(अ).—केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसी अपेक्षा है कि यूरेनियम उद्योग में लगी ऐसी सेवाओं को, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची की मद 19 के अधीन आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक लोक उपयोगी सेवा बनाया जाए;

और केन्द्रीय सरकार ने अंतिम बार उक्त उद्योग को भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं का.आ॰ 5065(अ) तारीख 8 दिसंबर, 2021 द्वारा 19 दिसंबर, 2021 से छह मास की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा के रूप में घोषित किया है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में उक्त उद्योग की लोक उपयोगी सेवा की प्रास्थिति को छह मास की और अवधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त उद्योग में लगी सेवाओं को 19 जून, 2022 से छह मास की अविध के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा के रूप में घोषित करती है।

[फा. सं. एस.-11017/9/97-आईआर(पीएल.)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

4068 GI/2022 (1)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2022

S.O. 2756(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest so requires that the services engaged in the Uranium Industry, which is covered under item 19 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

And whereas the Central Government has lastly declared the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the 19th December, 2021 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 5065 (E), dated the 8th December, 2021;

And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of public utility service status to the said industry for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947(14 of 1947), the Central Government hereby declares the services engaged in the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 19th June, 2022.

[F. No. S.11017/9/97-IR (PL)] KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.